

FP/UP/Others/49462/2020

भाग 4

( नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के :

लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफरिशो।

(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा जम वन संरक्षक :

की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और

विवेचात्मक टिप्पणी दी जाए)।

CF-310121 की संस्तुति  
के आधार पर स्वीकृत  
संस्तुति की जाती है।

तिथि :- 6/2/23

स्थान:-

हस्ताक्षर:-

Anupam Gupta  
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer  
Forest Conservation Act. 1980  
नाम:- U.P. Lucknow

संरकारी मोहर:-